



Neutral Citation No. - 2026:AHC:65

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 43181 वर्ष 2025

ऋषभ चौधरी

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता: आयुषी सिंह, राहुल सिंह दहिया

प्रतिवादी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री अरिमर्दन यादव और राज्य-प्रतिवादी के विद्वान एजीए की दलीलें सुनीं और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

यह जमानत याचिका अभियुक्त-आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 369/2025 में भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 309(6), 115(2), 351(2) और शस्त्र अधिनियम की धारा 3/25/27

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



के तहत जमानत पर रिहाई की मांग करते हुए दायर की गई है। मामला कवि नगर पुलिस स्टेशन, जिला गाजियाबाद में दर्ज है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आरोपी-आवेदक निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि आवेदक कथित अवैध लेन-देन का लाभार्थी नहीं है। उन्होंने कहा कि आवेदक के बैंक खाते में कोई धन हस्तांतरित नहीं किया गया है। जांच में जांच अधिकारी द्वारा आवेदक को उपरोक्त अपराध से जोड़ने वाला कोई विश्वसनीय साक्ष्य एकत्र नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि आवेदक के पास से कोई भी आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हुई है। कथित घटना का कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है। उन्होंने कहा कि इस मामले में, 11.06.2025 को आरोपपत्र दाखिल किया गया था और 12.06.2025 को संज्ञान भी लिया गया था, लेकिन मुकदमा आगे नहीं बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस मामले में आवेदक को कोई विशिष्ट भूमिका और उद्देश्य नहीं सौंपा गया है। आवेदक 17.04.2025 से जेल में बंद है। आवेदक का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और जमानत पर रिहा होने की स्थिति में उसके न्याय प्रक्रिया से भागने या सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए, जमानत की अर्जी दी गई है।

माननीय एजीए ने जमानत की प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया है, लेकिन आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए उपरोक्त तर्कों का खंडन नहीं कर सके।

इन सभी तथ्यों और परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, दोषसिद्धि की स्थिति में सजा की गंभीरता और सहायक साक्ष्य की प्रकृति, गवाह के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका और प्रथम दृष्टया मामले को ध्यान में रखते हुए, लेकिन मामले की योग्यता पर टिप्पणी किए बिना, जमानत का मामला बनता है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अतः, जमानत याचिका **स्वीकार** की जाती है।

उपरोक्त मामले में आरोपी-आवेदक, **ऋषभ चौधरी** को, उल्लेखित मुकदमा अपराध संख्या में शामिल होने के लिए, जमानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते वह एक व्यक्तिगत मुचलका और दो विश्वसनीय जमानतदार प्रस्तुत करे, जिनकी राशि संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप हो, निम्नलिखित शर्तों के अधीन:

1. आवेदक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
2. आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा।
3. आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव/धमकी नहीं देगा और मुकदमे में सहयोग करेगा।
4. आवेदक ट्रायल न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रत्येक तिथि पर नियमित रूप से उपस्थित होगा, जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी जाए।

उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने की स्थिति में, अवर न्यायालय उसकी जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगी।

5 जनवरी, 2026

पीकेएस

(न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।